



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

रि. 295।

प्रो. 295।

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 17, 2017/चैत्र 27, 1939

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 17, 2017/CHAITRA 27, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 376(अ).—केंद्रीय सरकार, चार्टर अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 28का द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 19 नवंबरी, 2011 में प्रकाशित, भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 38(अ), तारीख 19 नवंबरी, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (7), (8), (9), (10) और (11) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के बान पर, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(7)	श्री निलेश एस. विकमशे, चार्टर अकाउंटेंट, मुंबई	- सदस्य
(8)	श्री धीनल ए. शाह, चार्टर अकाउंटेंट, अहमदाबाद	- सदस्य
(9)	श्री एम.पी. विजय कुमार, चार्टर अकाउंटेंट, चैन्सिप्रेस	- सदस्य
(10)	श्री (डॉ.) देवाशीश मित्रा, चार्टर अकाउंटेंट, गुवाहाटी	- सदस्य
(11)	श्री संजय वासुदेव, चार्टर अकाउंटेंट, नई दिल्ली	- सदस्य ।"

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1/15/2010-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 38(अ), तारीख 19 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 684(अ), तारीख 16 सितंबर, 2011, सा.का.नि. 441(अ), तारीख 12 जून, 2012, सा.का.नि. 486(अ), तारीख 21 जून, 2012, सा.का.नि. 810(अ), तारीख 5 नवंबर, 2012, सा.का.नि. 131(अ), तारीख 1 मार्च, 2014, सा.का.नि. 569(अ), तारीख 7 अगस्त, 2014, सा.का.नि. 837(अ), तारीख 24 नवंबर, 2014, सा.का.नि. 563(अ), तारीख 20 जुलाई, 2015, सा.का.नि. 744(अ), तारीख 30 सितंबर, 2015 और सा.का.नि. 681(अ), तारीख 12 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2017

G.S.R. 376(E).—In exercise of the powers conferred by section 28A of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the government of India, in the Ministry of Corporate Affairs number G.S.R. 38 (E), dated the 19th January, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 19th January, 2011, namely:-

In the said notification, for serial numbers (7), (8), (9), (10) and (11) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall respectively be substituted, namely:-

- 7) Sh. Nilesh S. Vikamsey, Chartered Accountant, Mumbai. —Member
-) Sh. Dhinal A. Shah, Chartered Accountant, Ahmedabad. —Member
- () Sh. M.P. Vijay Kumar, Chartered Accountant, Chennai. —Member
- () Sh. (Dr.) Debasish Mitra, Chartered Accountant, Guwahati. —Member
- () Sh. Sanjay Vasudeva, Chartered Accountant, New Delhi. —Member”.
- 3. This notification shall take effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/15/2010-PI]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

No :-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number GSR 38(E), dated the 19th January, 2011 and subsequently amended vide numbers G.S.R. 684(E), dated the 16th September, 2011, G.S.R. 441(E), dated the 12th June, 2012, G.S.R. 486(E), dated the 21st June, 2012, G.S.R. 810(E), dated the 5th November, 2012, G.S.R. 131(E), dated the 1st March, 2014, G.S.R. 569(E), dated the 7th August, 2014, G.S.R. 837(E), dated the 24th November, 2014, G.S.R. 563(E), dated the 20th July, 2015, G.S.R. 744(E), dated the 30th September, 2015 and G.S.R. 681(E), dated the 12th July, 2016.